<u>न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0:–11/2017</u>

हरख नारायण साह...वादी

बनाम

बिपत दिसवा एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
10.02.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 28.06.2018 सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **<u>आदेश (ORDER)</u>** वादी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 28.06.2018 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा शिकारपुर विधान सभा क्षेत्र–04 के मतदान केन्द्र सं0–04 के सन्–1980 के मतदाता सूची की सच्ची प्रतिलिपि दाखिल किया गया है, जो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि दाखिल कागजात को प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाय। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख उपस्थिति हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। वादी द्वारा दाखिल कागजात वाद से संबंधित होना प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक 28.06.2018 को मो0–500/– हर्जे पर स्वीकार करते हुए	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–11/2017

हरख नारायण साह...वादी

बनाम

बिपत दिसवा एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार **10.02.2025**	दाखिल कागजात को आपत्ति के साथ प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 01.03.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	